3

अध्याय

नीतिगत पहलें और सुधारात्मक उपाय

नीतिगत पहलें और सुधारात्मक उपाय

कोयला क्षेत्र में उत्पादन और क्षमता बढ़ाने हेतु उपाय

अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि

सीएमपीडीआईएल गैर–सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग की योजना स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए नोडल अभिकरण है। सीएमपीडीआईएल, एमईसीएल तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य का निष्पादन करता है। पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान, गैर–सीआईएल ब्लॉकों के विनिर्दिष्ट लक्ष्य, वास्तविक ड्रिलिंग तथा वर्ष 2015–16 के दौरान अनुमानित ड्रलिंग तथा वित्त वर्ष 2016–17 के लिए लक्ष्य इस प्रकार हैः–

(ड्रिलिंग लाख मीटर में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष के संदर्भ में % वृद्धि
2012-13	1.75	2.28	02.70
2013-14	3.62	2.38	04.39
2014-15	4.16	2.82	18.48
2015-16	4.82	3.20 **(अनुमानित)**	13.48 **(अनुमानित)**
2016-17	3.48		

12वीं योजना अवधि के दौरान 58 गैर–सीआईएल ब्लॉकों में 19.03 लाख मीटर की ड्रिलिंग की आयोजना की गई है। सीएमपीडीआईएल का अपनी विभागीय क्षमता को 2015–16 तक 3.56 लाख मीटर प्रति वर्ष से 4 लाख मीटर/प्रतिवर्ष तक बढ़ाने का विचार है ताकि सीआईएल और गैर–सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग की वृद्धिक मांग को पूरा किया जा सके।

12वीं योजना में सीआईएल में विस्तृत ड्रिलिंग के लिए लक्ष्य लगभग 30.20 लाख मीटर है। सीआईएल ब्लॉकों में पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान वास्तविक ड्रिलिंग तथा चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान अनुमानित ड्रिलिंग तथा वित्त वर्ष 2016–17 के लिए लक्ष्य निम्नवत हैं:–

(ड्रिलिंग लाख मीटर में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष के संदर्भ में % वृद्धि
2012-13	04.07	3.35	23.20
2013-14	05.38	4.59	37.01
2014-15	07.84	5.46	18.95
2015-16	10.18	6.30 **(अनुमानित)**	15.38 **(अनुमानित)**
2016-17	07.52		

उत्पादन में कमी के कई कारण हैं जिनमें कई कोयला ब्लॉकों में एक समस्या गंभीर कानून तथा व्यवस्था, वन अनुमोदन की अनुपलब्धता शामिल है। लक्ष्यों को प्राप्त न करने के लिए निजी क्षेत्र में कुशल जनशक्ति की कमी और अपर्याप्त क्षमता कुछ अन्य कारण हैं। इसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रमुख सार्वभौम कंपनियों को आकर्षित करने हेतु एक नीतिगत आदेश के साथ आगामी वर्षों में सीएमपीडीआईएल को सुदृढ़ करने की आयोजना की जा रही है। अन्वेषण प्रस्ताव के अनुमोदन में तेजी लाने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा कोयला नियंत्रक द्वारा वन संबंधी मंजूरी की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाया जा रहा है।

कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नवीकृत नीति पर जोर देना

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

वर्ष 2019–20 तक कोयले का 1 बिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजना बनाने हेतु कार्रवाई की गई है। अब तक वर्ष 2019–20 में लगभग 908.10 मि.टन उत्पादन करने के लिए खानों/परियोजनाओं की पहचान की गई है और 1 बिलियन टन की शेष उत्पादन क्षमता हेतु परियोजनाओं का पता लगाया जा रहा है। वर्ष 2015–16 के दौरान कोयला मंत्रालय के वार्षिक योजना दस्तावेज के अनुसार कोयला उत्पादन का लक्ष्य 550 मि.टन था। वर्ष 2016–17 के दौरान 1 बिलियन टन उत्पादन दस्तावेज के अनुसार कोयले के उत्पादन का अनुमानित

लक्ष्य 597.61 मिलियन टन है जिसमें एनईसी का उत्पादन शामिल नहीं है। वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के अनुसार ग्रुप वार उत्पादन अनुमान इस प्रकार है :

सीआईएल	2015–2016		2016–2017
	ब.अ.	सं.अ.	1 बि.ट. अनुमान
मौजूदा परियोजना	36.61	37.88	036.43
पूरी हुई परियोजनाएं	193.12	201.42	208.52
मौजूदा परियोजनाएं	317.52	295.00	348.53
भावी परियोजनाएं	002.75	002.40	004.13
कुल	550.00	536.70	597.61

सीसीएल में उत्तरी करणपुरा, एसईसीएल के सीआईसी तथा एमसीएल में आईब और तलचर कोलफील्ड्स में उत्पादन पर्याप्त वृद्धि पर विचार किया गया है।

परियोजनाओं को पूर्ण करना तथा मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

158 चालू परियोजनाएं विभिन्न चरणों में कार्यान्वयनाधीन हैं। 3 एमटीवाई तथा इससे अधिक की क्षमता सहित 500 करोड़ रूपए तथा इससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा सचिव, कोयला मंत्रालय द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है। 150 करोड़ रूपए तथा इससे अधिक की लागत वाली सभी परियोजनाओं के निष्पादन की निगरानी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा की जाती है। इसके अलावा, कोयला परियोजना मॉनीटरिंग (सीपीएमपी) और मंत्रिमंडल सचिवालय की बेवसाइट पीएमजी पर प्राप्त अद्यतन सूचना के जरिए सीआईएल की चालू परियोजनाओं की निगरानी करता है। सीआईएल ने 458.04 एमटीवाई की अनुमानित तथा 79200 करोड़ रुपए की अनुमानित पूंजी आवश्यकता सहित 129 नई/भावी परियोजनाओं की पहचान की है जिनमें से 171.14 एमटीवाई क्षमता वाली तथा 24150.84 करोड़ रुपए की पूंजी वाली 29 परियोजनाओं का अनुमोदन हो चुका है। 200.05 एमटीवाई की अनुमानित क्षमता वाली और 77 परियोजनाओं के लिए परियोजनाएं रिपोर्टें भी तैयार की जा चुकी हैं।

एनईसी में इस समय चार मौजूदा कार्यरत खानें हैं। इन चार खानों में से तीन खानें ओपनकास्ट तथा एक खान भूमिगत खान है। वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान उम्मीद है कि यह 5.12 लाख टन कोयले का उत्पादन करेगा। एनईसी ने 7 नई परियोजनाओं का पता लगाया है जो निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपाय

सीआईएल के संबंध में यह योजना है कि चार सहायक कंपनियों अर्थात एसईसीएल, एमसीएल, सीसीएल तथा एनसीएल से मौजूदा तथा भावी परियोजनाओं के ग्रुप से उत्पादन में वृद्धि की जाएगी। 158 मौजूदा परियोजनाओं में से 87 परियोजनाओं के लिए मंजूरियां उपलब्ध हैं और इनकी कुल उत्पादन क्षमता 227.59 एमटी है। वर्ष 2015 के दौरान इन 87 परियोजनाओं ने 129.76 एमटी का योगदान किया।

424.06 एमटीवाई की कुल क्षमता वाली 71 परियोजनाओं को अपनी योजनाबद्ध उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए मंजूरियों की आवश्यकता होगी। तथापि वन भूमि के संबंध में प्राप्त आंशिक मंजूरियों के परिणामतः इन परियोजनाओं से वर्ष 2014–15 के दौरान 125.29 एमटी उत्पादन हुआ।

कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए सीआईएल ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- अत्याधुनिक मशीनीकरण के साथ उच्च क्षमता वाली खानों की योजना बनाई जा रही है।
- भौगोलिक खनन स्थितियों पर निर्भर करते हुए भूमिगत तथा ओपनकास्ट दोनों ही प्रकार की खानों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए खानों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
- कार्यकुशलता को बेहतर बनाकर एवं आधुनिकीकरण करके क्षमता संबंधी उपयोग को बेहतर बनाया जा रहा है।
- कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मौजूदा परियोजनाओं का समयबद्ध आधार पर कार्यान्वयन का सुनिश्चय करना।

- ईपी अधिनियम, 2006 के तहत विशेष प्रयासों से मौजूदा परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि करना।
- परियोजना से संबंधित मसलों के समाधान हेतु संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ बातचीत की प्रभावी मॉनीटरिंग।
- कोयला मंत्रालय से प्रभावी और निरंतर सहायता।

सीआईएल में खानों का प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण

यूजी खानों सहित सीआईएल खानों में मौजूदा प्रौद्योगिकी के उन्नयन की आवश्यकता तथा और अधिक आधुनिकीकरण की गुंजाइश का आकलन करने के लिए मैसर्स केपीएमजी द्वारा अध्ययन किया गया है। सीआईएल ने कार्यान्वयन हेतु इस रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। भूमिगत खानों से कोयले के उत्पादन में गिरावट को देखते हुए सीआईएल/सीएमपीडीआई में भूमिगत खानों के विशिष्ट अध्ययन के लिए परामर्शदाता के चयन की प्रक्रिया चल रही है।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त/आबंटन रद्द की गई कोयला खानें

माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (आपराधिक) 2012 की सं.120 तथा अन्य संबंधित मामलों में दिनांक 25.08.2014 और दिनांक 24.09.2014 के अपने निर्णय / आदेश द्वारा वर्ष 1993 से आबंटित किए गए 218 कोयला ब्लॉकों में से 204 कोयला ब्लॉकों के आबंटन को रद्द कर दिया है।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त/आबंटन रद्द किए गए 204 कोयला ब्लॉकों के प्रबंधन एवं पुनः आबंटन हेतु सरकार ने कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 को अधिनियमित किया था ताकि नीलामी अथवा किसी सरकारी कंपनी को आबंटन, जो भी मामला हो, के माध्यम से चुने जाने वाले नए आबंटितियों को खानों की भूमि तथा तत्संबंधी खनन अवसरंचना के साथ खानों पर अधिकार, स्वामित्व और हित का सरलतापूर्वक अंतरण सुनिश्चित हो सके। उक्त अधिनियम के अधीन आबंटन की प्रक्रिया दिनांक 25.12.2014 को निविदा आमंत्रित करने हेतु प्रथम नोटिस के प्रकाशन के साथ शुरू हुई। अभी तक केंद्र सरकार ने 31 कोयला खानों की सफलतापूर्वक नीलामी की है और केंद्र और राज्य सरकारों की कंपनियों को 42 कोयला खानों का आबंटन किया है।

31 कोयला खानों की नीलामी से खानों की कार्यावधि/पट्टावधि के दौरान कोयलाधारी राज्यों को 1,96.700 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त 42 कोयला खानों के आबंटन से कोयलाधारी राज्यों को 1,48,275 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त बिजली की दरों में कमी के संदर्भ में उपभोक्ताओं को लगभग 69,310 करोड़ रुपए का लाभ होने का अनुमान है। मौजूदा बाजार स्थितियों को देखते हुए वर्ष 2016–17 के दौरान कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के अधीन विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोगों के लिए शेष कोयला खानों का आबंटन किया जाएगा।

इस प्रक्रिया को आगे ले जाने तथा घरेलू कोयले की उपलब्धता को बढ़ाने के परिणामतः आयातित कोयले पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार केंद्रीय/राज्य पीएसयू को वाणिज्यिक खनन हेतु कोयला खानों के आबंटन पर विचार कर रही है। कोयला उत्पादन बढ़ाने के अलावा इस उपाय से इस क्षेत्र में स्वस्थ प्रतियोगिता कायम होगी जिसके परिणामतः कोयला उद्योग में सेवा मानक बेहतर बनेंगे।

बड़े जनजातीय आबादी वाले पूर्वी राज्यों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा और नीलामी तथा आबंटन से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व का उपयोग इन राज्यों के लोगों की भलाई के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अधीन बनाए गए जिला खनिज कोष (डीएमएफ) को कोयले पर लेवी से मिलने वाले योगदान का उपयोग उस जिले के लिए कल्याण कार्यकलापों हेतु किया जाएगा जहां खान स्थित है।

नीलामी और आबंटन के जरिए इन कोयला खानों के आबंटन से कोयले की उपलब्धता में सुधार होगा और इस प्रकार कोयले के आयात में कमी होगी। कोयले की बेहतर उपलब्धता से औद्योगिक विकास होगा जिसके परिणामतः देश के आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।

एमएमडीआर अधिनियम के अधीन कोयला/लिग्नाईट ब्लॉकों का आबंटन

'कोयला खान प्रतियोगी बोली द्वारा नीलामी नियम, 2012' के उपबंधों के अधीन 17 कोयला ब्लाकों (विर्निदिष्ट अन्त्य उपयोग अर्थात विद्युत के लिए 14 ब्लॉक और खनन के लिए 3 ब्लॉक) को राज्य सरकार की कंपनियों/कार्पोरेशनों/सीपीएसयू को आबंटन हेतु रखा गया था। इनमें से विद्युत के रूप में अन्त्य

प्रयोग हेतु 6 कोयला ब्लाकों का आबंटन किया जा चुका है। 4 कोयला ब्लाकों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा आबंटी कंपनियों के साथ कोयला ब्लॉक विकास तथा उत्पादन करार संपन्न किया जा सकता है।

5 लिग्नाईट ब्लॉक गुजरात तथा राजस्थान राज्यों की सरकारी कंपनियों/कार्पोरेशनों को आबंटन के लिए रखे गए थे। इनमें से 3 लिग्नाईट ब्लाक गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. को आबंटित किए गए हैं तथा एक लिग्नाईट ब्लाक गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लि. को भूमिगत कोयला गैसीफिकेशन (यूसीजी) के लिए सिद्धांत रूप से आबंटित किया गया है।

गुणवत्ता तथा तृतीय पक्ष सैम्पलिंग – हाल ही में लिए गए निर्णय

कोयला कंपनियों और विद्युत कंपनियों/डेवलपरों के बीच विवादों को सुलझाने तथा कोयला आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से तृतीय पक्ष सैम्पलिंग प्रणाली को और बेहतर बनाया गया। सीआईएल द्वारा नियुक्त एजेंसी के अतिरिक्त विद्युत कंपनियों तथा सीईए के प्रतिनिधियों वाली समिति द्वारा प्रतिष्ठित 25 तृतीय पक्ष नमूना जांचकर्ताओं का पैनल सीआईएल की सहमति से संयुक्त रूप से तैयार और अधिसूचित किया गया। विद्युत कंपनियों/डेवलपरों को इस पैनल से तृतीय पक्ष नमूना जांचकर्ताओं का चयन करने, उनकी नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत किया गया। तथापि एजेंसी द्वारा लदान स्थल पर संकलन और विश्लेषण के आधार पर बिलिंग की जाती है। विद्युत कंपनियों/डेवलपरों द्वारा सैम्पलिंग के संबंध में भुगतान किया गया। इस प्रणाली को कई लदान स्थलों पर लागू किया गया। तथापि विद्युत कंपनियों ने इस प्रणाली में और सुधार का अनुरोध किया था।

दिनांक 26.11.2015 को कोयला मंत्रालय द्वारा तृतीय पक्ष सैम्पलिंग के संबंध में जारी संशोधित अनुदेशों के अनुसार सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च (सीआईएमएफआर) द्वारा विद्युत संयंत्रों (उपभोक्ता) तथा कोयला कंपनियों (आपूर्तिकर्ता) दोनों ही की ओर से लदान स्थल पर स्वतंत्र तृतीय पक्ष एजेंसी को पैनल में शामिल किया जाना है। यह पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए तृतीय पक्ष एजेंसियों को सूची में शामिल करेगी।

विद्युत संयंत्र तथा कोयला कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि नमूना लेने की प्रक्रिया तथा परीक्षणशाला नमूने एकत्र तथा तैयार करने के कार्य का संयुक्त रूप से पर्यवेक्षण करेंगे। नमूना लेने और उसे तैयार करने का कार्य बीआईएस मानदंडों के अनुसार तृतीय पक्ष एजेंसी/स्वतंत्र नमूना लेने वाले के द्वारा किया जाएगा। नमूना लेने वाली स्वतंत्र एजेंसी को देय फीस के भुगतान का वहन कोयला कंपनियां (आपूर्तिकर्ता) तथा विद्युत कंपनी (उपभोक्ता) दोनों ही के द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। अंतिम परीक्षणशाला नमूने को 4 भागों में विभक्त किया जाएगा। नमूने का प्रथम भाग सीआईएमएफआर द्वारा नियुक्त सरकारी परीक्षणशाला अथवा एनएबीएल प्रत्यायित परीक्षणशाला में स्वतंत्र तृतीय वर्ष एजेंसी द्वारा विश्लेषण के लिए है। नमूने का भाग 2 और भाग 3 कोयला कंपनी तथा विद्युत कंपनी को अपनी ओर से किए जाने वाले विश्लेषण के लिए सौंपे जाएंगे। 'नमूने का भाग 4 जो संदर्भ नमूने' के रूप में ज्ञात है को तृतीय पक्ष एजेंसी, कोयला कंपनी और विद्युत संयंत्र के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से सील किया जाएगा और उसे ताले में उचित रूप से बंद करके तृतीय पक्ष एजेंसी के पास रखा जाएगा। संदर्भ नमूने को नमूना लेने की तारीख से 30 दिन की अवधि तक रखा जाएगा।

तृतीय पक्ष एजेंसी नमूना लेने के 18 कार्य दिवसों के भीतर नमूने के विश्लेषण के परिणामों की सूचना कोयला कंपनी और विद्युत संयंत्र को देगी। यदि कोई विवाद हो तो उसे कोयला कंपनी अथवा विद्युत कंपनी तृतीय पक्ष द्वारा परिणाम प्रस्तुत करने की तारीख से 7 दिन के भीतर उठा सकती हैं। निर्धारित अवधि के भीतर उठाए गए विवाद के मामले में संदर्भ सैम्पल का किसी सरकारी परीक्षणशाला में विश्लेषण किया जाएगा।

यह नई प्रणाली एनसीएल में दिनांक 01.01.2016 से शुरू हो गई है और उसके बाद अन्य सहायक कंपनियों में इसे शुरू किया जाएगा।

कोयला लिंकेज का युक्तीकरण

लिंकेजों के युक्तीकरण की समीक्षा करने हेतु कोयला मंत्रालय द्वारा 13 जून, 2014 को अंतर–मंत्रालयी कार्यबल (आईएमटीएफ) का गठन किया गया था। युक्तीकरण कार्य का उद्देश्य वर्तमान कोयला स्रोतों की व्यापक समीक्षा करना तथा इन स्रोतों के युक्तीकरण हेतु संभाव्यता पर विचार करना है जिससे परिवहन लागत को ईष्टतम किया जा सके और मौजूद तकनीकी बाधाओं के अंतर्गत उसे कार्यरूप दिया जा सके।

चरण। के दौरान उन 17 तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए युक्तीकरण कार्यान्वित कर दिया गया है जिनके लिए संशोधित ईंधन आपूर्ति

करार (एफएसए) संपन्न कर लिए गए हैं। इसके परिणामतः 24.6 एमटी कोयले की आवाजाही का युक्तीकरण हुआ है और इसके परिणामतः आवर्ती परिवहन लागत में लगभग 910 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत हुई है। चरण–।। के दौरान स्वैप के एक सेट का कार्यान्वयन किया गया है जिसके परिणामतः 1.3 एमटी कोयले की आवाजाही का युक्तीकरण हुआ और 460 करोड़ रुपए की परिवहन लागत की वार्षिक बचत हुई। इस प्रकार कुल मिलाकर 25.9 एमटी कोयले की आवाजाही का युक्तीकरण हुआ है और 1,370 करोड़ रुपए की परिवहन लागत की वार्षिक बचत हुई है।

पुराने संयंत्रों को हटाने और नए संयंत्रों को लगाने के समय पुराने संयंत्रों को दिए गए कोयला लिंकेज/एलओए का स्वतः अंतरण

पुराने संयंत्रों को हटाने और उनके स्थान पर नए संयंत्र लगाते समय पुराने संयंत्रों को दिए गए कोयला लिंकेज/एलओए के स्वतः अंतरण हेतु नीतिगत दिशा–निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

इन दिशा–निर्देशों के अधीन पुराने संयंत्रों को दिए गए एलओए/लिंकेज अति महत्वपूर्ण क्षमता वाले नए संयंत्रों को स्वतः अंतरित हो जाएगें। यदि नई महत्वपूर्ण संयंत्र की क्षमता पुराने संयंत्र की क्षमता से अधिक है तो उपलब्धता को देखते हुए अतिरिक्त कोयला प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। यह नीति केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ही उन पूर्व–एनसीडीपी संयंत्रों पर लागू होगी जिन्हें दीर्घावधिक लिंकेज/एलओए पहले ही प्रदान कर दिए गए हैं। उपर्युक्त विवरण के अनुसार लिंकेज/एलओए के स्वतः अंतरण की अनुमति उसी राज्य में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए होगी जहां पुराना संयंत्र स्थापित था। पुराने संयंत्र जिसने उपयोगी कार्यावधि पूरी कर ली है और जिसे बदला जाना है, को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाना चाहिए।

कोयला लिंकेजों की पारदर्शी नीलामी

नियंत्रण मुक्त क्षेत्र अर्थात सीमेंट, इस्पात/स्पंज आयरन, एल्यूमीनियम तथा अन्य [उर्वरक (यूरिया) क्षेत्र को छोड़कर], के संबंध में लिंकेज/एलओए के संबंध में समस्त आबंटन अब से नीलामी पर आधारित होगें। नियंत्रणमुक्त क्षेत्र के लिंकेजों की नीलामी पर आधारित नीति का अनुमोदन सीसीईए द्वारा किया गया है और इसे कार्यान्वन हेतु 15.02.2016 को सभी संबंधितों को परिचालित कर दिया गया था। कोयला लिंकेज की प्रस्तावित नीलामी पारदर्शी है, और इसमें प्रतियोगिता की गुंजाइश है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी विपणन सहभागियों को उनके आकार–प्रकार पर ध्यान न देते हुए कोयला लिंकेज प्राप्त करने का उचित अवसर मिलेगा। नीलामी पद्धति के परिणामतः बाजार तंत्र के जरिए मूल्य निर्धारित होगा इसका उद्देश्य अधिक–से–अधिक राजस्व अर्जन नहीं है।

ब्रिज लिंकेज संबंधी नीति

केंद्र तथा राज्यों के ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (विद्युत तथा गैर–विद्युत दोनों क्षेत्रों में) के विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग संयंत्रों को 'ब्रिज लिंकेज' प्रदान करने संबंधी नीतिगत दिशा–निर्देश सभी संबंधितों को परिचालित कर दिए गए हैं जिन्हें कोयला खान/ब्लाक आबंटित किये गए हैं। 'ब्रिज लिंकेज' केंद्र तथा राज्य पीएसयू के विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग वाले संयंत्रों की कोयला आवश्यकता तथा एमएमडीआर अधिनियम के अधीन आबंटित अनुसूची–।।। कोयला खानों से कोयले का उत्पादन शुरू होने के बीच अंतर को पाटने के लिए अल्पावधिक लिंकेज के रूप में कार्य करेगा।

कोयले की धुलाई पर बल

सीआईएल इस समय ईटहेडों से 750 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तापीय विद्युत स्टेशनों को 34% से कम राख की मात्रा वाले कोयले की आपूर्ति कर रही है। तथापि दिनांक 02.02.2014 को जारी पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार दिनांक 05.06.2016 से 750 किलोमीटर की दूरी की उपर्युक्त शर्त सीमा को घटाकर 500 किलोमीटर कर दिया जाएगा।

उपर्युक्त को देखते हुए सीआईएल ने 94.0 एमटीपीए कुल क्षमता वाली 9 नई नॉन कोकिंग कोल वाशरियों की स्थापना करने की योजना बनाई है। ये वाशरियां निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं। इसके अलावा 18.6 एमटीपीए की कुल क्षमता की 6 नई वाशरियां भी कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा मौजूदा कोयला लिंकेजों को युक्तिसंगत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

आग लगने, धंसाव तथा पुनर्वास क्षेत्रों संबंधी समस्याओं का समाधान करने हेतु मास्टर प्लान

प्रत्येक पांच–पांच वर्षों के दो चरणों में तथा बीसीसीएल में 2 वर्षों की कार्यान्वयन पूर्व अवधि में 10/12 वर्षों में कार्यान्वयन हेतु विभिन्न ईएमएससी योजनाओं के लिए पूर्व में स्वीकृत 116.23 करोड़ रूपए को छोड़कर 9657.61 करोड़ रूपए (7028.40 करोड़

रूपए झरिया कोलफील्ड के लिए तथा 2629.21 करोड़ रूपए रानीगंज कोलफील्ड के लिए) अनुमानित पूंजी निवेश से आग लगने, धंसाव तथा पुनर्वास से निपटने की झरिया और रानीगंज कोलफील्डों से संबंधित मास्टर प्लान अगस्त, 2009 में 9657.61 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से आबंटित की गई है।

झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः गैर–बीसीसीएल/गैर–ईसीएल के परिवारों के पुनर्वास हेतु झरिया पुनर्वास तथा विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) और आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) के कार्यान्वयन अभिकरणों के रूप में पहचान की गई है।

झारिया में जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है और पुनर्वास के लिए अतिक्रमण करने वाले 91879 परिवारों की पहचान की गई है। जी प्लस 8 निर्माण तथा 4 स्थानों पर एकीकृत बस्तियों का विकास करके पुनर्वास हेतु भूमि समतल बनाने का प्रस्ताव है।

आरसीएफ में जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण कार्य सभी 126 स्थानों के लिए पूरा हो गया है। जेसीएफ में मास्टर प्लान के अनुसार 595 स्थानों पर 54159 परिवारों का सर्वेक्षण किया जाना था लेकिन 434 स्थानों पर 75968 परिवारों के संबंध में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है।

जेसीएफ सेटेलाइट टाउनशिप में बेलगोरिया पुनर्वास बस्ती ''झारिया विहार'' में 3072 मकानों का निर्माण किया गया है जिनमें 1340 परिवारों को स्थानांतरित किया गया है। बीएसपीयू मकानों में 2000 यूनिटों में से जेएनएनयूआरएम मानदंडों (कार्पेट क्षेत्र 25.10 वर्ग मीटर) के अनुसार मकानों का निर्माण हो रहा है जिनमें से 720 यूनिटों का निर्माण पूरा हो गया है और शेष यूनिटों का निर्माण चल रहा है। बेलगोरिया बस्ती चरण।।। में जेआरडीए द्वारा जी प्लस 3 (4 मंजिले भवन) के 2000 यूनिटों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। बेलगोरिया और लिपानिया में 10000 जी प्लस 3 यूनिटों के निर्माण हेतु जेआरडीए द्वारा निविदाएं भी आमंत्रित की गई थीं।

बीसीसीएल ने मास्टर प्लान के अंतर्गत 1496 मकानों का निर्माण किया है। आग लगने तथा धंसाव की संभावना वाले क्षेत्रों से परिवारों को इन मकानों में स्थानांतरित कर दिया गया है। बीसीसीएल द्वारा और 4080 मकानों का निर्माण चल रहा है जिनमें से 2040 मकानों का निर्माण पूरा हो गया है और 1116 मकानों का कब्जा दे दिया गया है। विभिन्न गैर कोयलाधारी क्षेत्रों में 4020 तिमंजीले क्वार्टरों का निर्माण पूरा होने वाला है। 2248 (बी.सी.डी. टाइप) तीन मंजिले मकानों तथा 4008 तीन मंजिले खनक क्वार्टरों का निर्माण शुरू कर दिया गया है।

झारिया/रानीगंज कोलफील्ड में समतलीकरण के संबंध में सीआईएल की मास्टर प्लान के बारे में 28.12.2015 को हुई सीसीडीए समिति की 78वीं बैठक में यह पाया गया था कि जेएपी अनुमान वर्ष 2009 में तैयार किए गए थे और तब से परियोजना लागत में समग्र लागत में वृद्धि, परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि, भूमि की लागत में वृद्धि जैसे विभिन्न कारणों से वृद्धि होने की संभावना है। तदनुसार भावी अवधि के दौरान अपेक्षाकृत अधिक संसाधनों की आवश्यकता महसूस हो सकती है।

भूमि के पुनरूद्धार के लिए सेटेलाइट निगरानी

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

सतत विकास के लिए खनित क्षेत्रों का पुनरूद्धार महत्वपूर्ण है। उपयुक्त पुनरूद्धार (तकनीकी तथा जैविक दोनों) तथा खान क्लोजर पर बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय रिमोट सेसिंग केन्द्र, हैदराबाद के साथ भागीदारी द्वारा भूमि के पुनरूद्धार के लिए सेटेलाइट निगरानी पर अपेक्षित बल दिया जा रहा है। 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2014–15 के लिए उत्खनित तथा पुनरूद्धार किए गए क्षेत्र के कंपनी–वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं–

कंपनी	उत्खनित भूमि (हैक्टेयर)	पुनःद्धार की गई भूमि (हेक्टेयर)	
		जैविक	तकनीकी
डब्ल्यूसीएल	11423.96	4305.68	4745.36
एसईसीएल	10441.14	5327.51	3362.57
एनसीएल	11278.00	5768.00	3050.00
एनसीएल	5270.95	1553.52	1791.52
सीसीएल	7625.95	3306.78	2193.69
बीसीसीएल	1821.19	306.23	1152.41
ईसीएल	2175.12	639.25	1024.04
एनईसी	279.29	118.57	120.92
कुल सीआईएल	50315.60	21325.54	17440.51

वर्ष 2015–16 के संबंध में इमेज व्याख्या तथा विश्लेषण का कार्य चल रहा है और अंतिम संकलन के बाद विश्लेषण के परिणाम फरवरी के अंत तक प्राप्त होने की उम्मीद है।

सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल):

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोयला खनन परियोजनाओं को जारी की गईं पर्यावरण संबंधी मंजूरियों की शर्तों में एक शर्त यह निर्धारित की है कि ''भूमि उपयोग पद्धति की मॉनीटरिंग करने के लिए तथा खनन के उपरांत भूमि के उपयोग के लिए परियोजना के शुरू होने से पहले खान की कार्यावधि समाप्त होने तक कोर ओर वफर जोन की उपग्रह इमेजनरी (1:5000 के स्केल पर) आधारित भूमि के उपयोग संबंधी समय सीरीज नक्शे 3 वर्षों में एक बार तैयार किए जाएंगें। किसी सीजन विशेष के लिए जो समय–सीरीज के अनुरूप हो और इसकी रिपोर्ट पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा बंगलौर स्थित इसके क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जाए।''

इसके अतिरिक्त कोयला मंत्रालय ने सभी कोयला खनन कंपनियों को यह सलाह दी थी कि सभी ओपनकास्ट खानों को उपग्रह निगरानी के अधीन लाया जाए ताकि भूमि के उद्धार की सावधिक मानीटरिंग की जा सके।

तदनुसार सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड सैटेलाइट इमेजनरी नक्शों के माध्यम से भूमि उपयोग पद्धति की मानीटरिंग करने की शर्त का अनुपालन कर रही है तथा पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा बंगलौर स्थित इसके क्षेत्रीय कार्यालय को 3 वर्षों में एक बार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है।

इसके अतिरिक्त एससीसीएल में ओपनकास्ट खानों के संबंध में उत्खनित एवं उद्धार की गई भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है:–

कंपनी	उत्खनित की गई भूमि (हेक्ट.)	उद्धार की गई भूमि (हेक्ट.)
एससीसीएल	4471.59	1278.42 *

*अधिकतर ओसी परियोजनाओं का परिचालन रिले परियोजनाओं के रूप में किया जा रहा है तथा बैक फिलिंग कार्य अभी भी जारी है। बैकफील्ड क्षेत्रों का जैविक उद्धार अनुमोदित खनन योजनाओं के कार्यक्रमों के अनुसार अंतिम प्रोफाइल के बाद किया जाएगा।

उत्पादकता मानदंडों की समीक्षा

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल): विभिन्न समितियों ने समय–समय पर हैवी अर्थ मूवींग मशीनरी (एचईएमएम) की उत्पादकता से संबंधित मुद्दे की जांच की है। इसके अतिरिक्त सीएमपीडीआई ने हैवी अर्थ मूवींग मशीनरी (एचईएमएम) की उपलब्धता तथा उपयोगिता मानदंडों की समीक्षा करने हेतु मई 2013 में एक समिति का गठन किया था। एचईएमएम की उपलब्धता तथा उपयोग मानदंडों की समीक्षा से संबंधित समिति की रिपोर्ट सीआईएल को प्रस्तुत की गई है।

सीआईएल बोर्ड की सलाह के अनुसार भूमिगत खानों में उपयोग में लाए जाने वाले साईड डिस्चार्ज लोडरों (एसडीएल) तथा लोड हॉल डंपरों (एलएचडी) के उत्पादकता मानदंडों की समीक्षा हेतु सीआईएल द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अप्रैल 2014 में सीआईएल को अपनी प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। एससीसीएल द्वारा एचईएमएम निष्पादन हेतु सीएमपीडीआईएल मानदंडों का अनुपालन किया जा रहा है। भूमिगत मशीनों से संबंधित मानदंडों की समीक्षा की जा रही है और खानों की भू–गर्भीय स्थितियों, विगत निष्पादन आदि जैसे विभिन्न पैमानों के आधार पर उन्हें वार्षिक आधार पर संशोधित किया जाता है।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के संबंध में नीतिगत पहलें और सुधारात्मक उपाय

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियां तथा नेयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड (एनएलसी) सीएसआर नीति के अनुसार विभिन्न कल्याण कार्यकलाप कर रही हैं। लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार सीएसआर के अधीन निधियों का आबंटन 01.04.2004 से प्रभावी है। ये दिशा–निर्देश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) पर आधारित हैं जिसमें तत्काल 3 पूर्ववर्ती वित्त वर्षों के लिए कंपनी के निवल औसत लाभ का कम–से–कम दो प्रतिशत व्यय करने का प्रावधान है। जबकि नेयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि. (एनएलसी) ने उपर्युक्त से अधिक सीएसआर निधियों का आबंटन किया है लेकिन कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने अपनी नीति तैयार की है और तत्काल 3 पूर्ववर्ती वित्त वर्षों के लिए कंपनी के निवल औसत लाभ के दो प्रतिशत अथवा विगत वर्ष के दो रुपए प्रतिटन कोयला उत्पादन पर आधारित, इनमें से जो भी अधिक हो, निधियां आबंटित की हैं।

विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), उसकी सहायक कंपनियों तथा एनएलसी द्वारा कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अधीन निर्धारित की गई राशि का कंपनीवार ब्यौरा इस प्रकार है:

(आंकड़े करोड़ रु में)

कंपनी 1 कोल इंडिया तथा इसकी सहायक कंपनियां	2012-13		2013-14		2013-15		2015-16	
	आबंटित	उपयोग की गई	आबंटित	उपयोग की गई	आबंटित	उपयोग की गई	आबंटित	उपयोग की गई (अप्रैल–दिस. 15)
ईसीएल	23.89	09.42	29.35	---	37.90	24.85	46.22	36.79
बीसीसीएल	23.63	07.43	30.50	20.00	30.00	14.33	48.67	39.94
सीसीएल	47.72	13.66	26.42	26.94	47.86	48.87	350.67	196.44
डब्ल्यूसीएल	40.67	20.96	29.46	23.80	7.96	20.15	91.92	59.64
एसईसीएल	181.79	46.63	63.94	43.91	129.97	40.43	379.46	103.11
एमसीएल	73.36	25.56	101.72	111.48	113.96	61.30	421.50	111.33
एनसीएल	95.73	17.64	48.99	39.72	80.28	61.77	196.25	116.31
सीएमपीडीआईएल	1.63	01.06	1.82	01.82	2.00	1.68	2.00	0.91
सीआईएल और एनईसी	107.32	07.19	142.16	141.70*	24.04	24.72	98.85	27.82
2. नेयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि. (एनएलसी)	13.00	14.26	26.04	26.30	41.60	47.49	44.27	49.00

उपर्युक्त बजट में स्वच्छ विद्यालय अभियान के लिए निर्धारित निधि भी शामिल है। व्यय में भी वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान स्वच्छ विद्यालय अभियान पर 31.12.2015 तक किया गया व्यय शामिल है।

- सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों ने 35226 स्कुलों में तथा उनके आस–पास 53412 शौचालयों का निर्माण किया है। शौचालयों का निर्माण 6 राज्यों अर्थात छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओडिसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में किया गया था। इस परियोजना पर लगभग 688.03 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई।
- एनएलसी ने 39.70 करोड़रुपए की लागत से 1414 शौचालयों का निर्माण किया (जिनमें से तमिलनाडु में 635 स्कूलों में 1270 शौचालय और राजस्थान में 77 स्कूलों में 144 शौचालय शामिल हैं।